इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014—पौष 13, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाज़ा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 3232-मप्रविनिआ-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 45 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) तथा धारा 46 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, मध्यप्रदेश विद्युत्

नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में पंचम संशोधन.

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(i) ये विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 [एआरजी-31(I) (v), वर्ष 2013]' कहलायेंगे.

(ii) ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे.

(iii) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में प्रकाशन होने पर दिनांक 30-8-2013 से लागू होंगे.

संशोधन :

उक्त विनियम में,—

(1) अध्याय तीन में, खण्ड (दस) में, उपखण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(च) 150 अश्व शक्ति से अधिक की संविदा मांग के लिए निम्न दाब संयोजनों का उच्च दाब में परिवर्तन किया जाना.''

(2) विनियम 4.1 में,—

''(एक) खण्ड 4.1.2 में, सारणी में, शीर्षक ''प्राक्कलित भार'' के अधीन अनुक्रमांक पांच में, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनधिक'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड 4.1.4 में, सारणी में, शीर्षक ''प्राक्कलित भार'' के अधीन अनुक्रमांक चार में, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनधिक'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड 4.2.2 में, सारणी में, शीर्षक ''मांग किया गया भार'' के अधीन अनुक्रमांक चार में, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनधिक'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(चार) खण्ड 4.2.3 (स) में, सारणी में, शीर्षक ''मांग किया गया भार'' के अधीन अनुक्रमांक चार में, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनधिक'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''25 किलोवॉट से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(पांच) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(च) 150 अश्व शक्ति से अधिक की संविदा मांग के लिए निम्न दाब संयोजनों का उच्च दाब में परिवर्तन किया जाना.''

(छह) खण्ड 4.6.1 में, अंक, शब्द और कोष्ठक ''100 अश्वशक्ति (75 किलोवॉट) से अधिक के संयोजित भार'' के स्थान पर, अंक, शब्द और कोष्ठक ''150 अश्वशक्ति (112 किलोवॉट) से अधिक की संविदा मांग'' स्थापित किए जाएं.

(3) परिशिष्ट में, मद सात में, शीर्षक ''लाईनों, संयंत्रों तथा उपकरणों को भाड़े पर प्रदाय किया जाना'' के अधीन शब्द तथा अंक ''स्थायी उपभोक्ताओं हेतु जिनका भार 100 अश्व शक्ति से अधिक है'' के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक ''स्थायी उपभोक्ताओं हेतु जिनकी संविदा मांग 150 अश्वशक्ति (112 किलोवॉट) से अधिक है'' स्थापित किए जाएं.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 31st December 2013

No. 3232-MPERC-2013.—In exercise of the powers conferred by Section 181 read with clause (b) of sub-section (3) of Section 45 and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulation (Revision-I) 2009, namely :—

Fifth Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-I) Regulation, 2009

1. **Short title and Commencement.**–(i) These Regulations may be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-I) (Fifth Amendment) Regulations, 2009 [ARG-31(I) (v) of 2013]"

(ii) These Regulations shall apply to the whole of Madhya Pradesh State.

(iii) These Regulations shall come into force w.e.f 30-8-2013 on publication in the Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

Amendments :—

in the said regulation,—

(1) in Chapter-III, in clause (X), for sub-clause (F), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(F) for conversion of LT connection into HT for contract demand of more then 150 HP".

(2) in regulation 4.1,—

(i) in clause 4.1.2, in the table, under the heading "Estimated load", in Sl. No. V, for the words, figures and letters "Above 25 KW but not exceeding 75 KW" the word, figure and letter "Above 25 KW" shall be substituted.

(ii) in clause 4.1.4, in the table, under the heading "Estimated load", in Sl. No. iv, for the words, figures and letters "Above 25 KW but not exceeding 75 KW" the word, figure and letter "Above 25 KW" shall be substituted.

(iii) in clause 4.2.2(c), in the table, under the heading "Requisitioned load", in Sl. No. iv, for the words, figures and letters "Above 25 KW but not exceeding 75 KW" the word, figure and letter "Above 75 KW" shall be substituted.

(iv) in clause 4.2.3(c), in the table, under the heading "Requisitioned load", in Sl. No. iv, for the words, figures and letters "Above 25 KW but not exceeding 75 KW" the word, figure and letter "Above 25 KW" shall be substituted.

(v) for clause (F), the following clause shall be substituted, namely :—

"(F) for conversion of LT connection into HT for contract demand of more than 150 HP".

(vi) in clause 4.6.1, for the words, figure, letter and bracket "connected load of more than 100 HP (75 KW)", the words, figure, letters and bracket "contract demand of more than 150 HP (112 KW)" shall be substituted.

(3) in the Annexure, in item VII under the heading "hiring of Line, Plants and equipments" for the words, figure and letter" "For permanent consumers with load of more than 100 HP", the words, figures, letters and bracket "For permanent consumers with contact demand of more than 150 HP (112 KW)" shall be substituted.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.